कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1259 / FP/UK/ROAD/11610/2015ःदेहरादूनः दिनांकः 23 नवम्बर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 646/X-4-15/1(381)/2015 दिनांक 31.07.2015।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसरो उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर की पत्र संख्या–1128 दिनांक 16.11.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. शर्त संख्या– 1 के कम में अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.96 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि **रू0 1833203.92** जमा की जा चुकी है।
2. उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 7.96 हे0 है, को जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 31/छब्बीस वन/2015–16, दिनांक 30.11.2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)।
3. के कम में अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये डिमाण्ड नोट तथा नोडल अधिकारी, वन विभाग देहरादून द्वारा जनरेटिड चालान के अनुसार धनराशि जमा कराई गयी है।
4. शर्त संख्या– 3 के कम में अवगत कराया गया है कि के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि **रू0 2614860.00** जमा कर दी गयी है।
5. उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है।
6. शर्त संख्या– 4 के कम में अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. शर्त संख्या– 5 के कम में अवगत कराया गया है कि विभिन्न मदों में देय धनराशि को RTGS के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (पृष्टि पत्र संलग्न है)
8. शर्त संख्या– 6 के कम में अवगत कराया गया है कि भू–वैज्ञानिक के सुझावों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. शर्त संख्या– 7 के कम में अवगत कराया गया है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों एवं निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित है।
10. शर्त संख्या– 8 के कम में अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के कम में प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. शर्त संख्या– 9 के कम में अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा जिसे विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
12. उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि मलुवा निस्तारण वनभूमि में प्रस्तावित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 1259/ FP/UK/ROAD/11610/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।
2. अधिशारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड बागेश्वर की पत्र संख्या–1128 दिनांक 16.11.2021 के कम में।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,